

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल ( म0प्र0)

क्रमांक 10 अ-82/15-16/चिल्हाटी/1096) बैतूल दिनांक 29.9.2018  
प्रति,

संचालक,  
जनसम्पर्क संचालनालय,  
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,  
भोपाल ।

विषय:- ग्राम चिल्हाटी तहसील मुलताई के भू-अर्जन प्रकरण में  
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत चिल्हाटी तीसरी रेल्वे लाईन हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(शशांक मिश्र)  
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल  
बैतूल दिनांक 29-9-2018

पृ0क0 10 अ-82/2015-16/1096)  
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) मुलताई को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा) को कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- प्रभारी एन आई सी सेंटर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- तहसीलदार मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 6- सम्बंधित ग्राम पंचायत तहसील मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

कलेक्टर एवं 01/9.

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

(नियम -5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- (1) परियोजना विकास का नाम :- उप मुख्य इंजी(नि.) कार्यालय, अजनी, मध्ये रेल्वे नागपुर-440003
- (2) लोक प्रयोजन :- तीसरे रेल्वे लाईन
- (3) स्थल :- चिल्हाटी
- (4) परियोजना का क्षेत्र :- 0.682 हे.
- (5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :- हां
- (6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- हां
- (7) परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम चरण
- (8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे:- रकबा 0.682 हे.
- (9) परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि:- 0.682 हे.
- (10) भूमि का मूल्य :- 792000 /- प्रतिहे.(सिंचित)  
:- 396000 /- प्रति हे.(असिंचित)
- (11) प्रभावित परिवारों की संख्या  
(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार)
- (12) परिसंतितियां-  
लोक सम्पत्ति- भूमि निरंक भवन निरंक अन्य  
निजी सम्पत्ति- भूमि 0.682 हे. भवन निरंक अन्य
- (13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या  
जिनकी भूमि अर्जित हुई-  
ग्राम:- चिल्हाटी परिवारों की संख्या:- 9

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
0	0	09	09

जिनके मकान अर्जित हुए-

ग्राम:- चिल्हाटी

परिवारों की संख्या:- 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
0	0	0	0